कार्यालय–प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
E-Mail ID: nodalofficerddn@gmail.com, Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांक– 2039 /12–1 :देहरादूनः दिनांकः 27 मार्च, 2024.

सेवा में,

उप वन महानिदेशक (के0),
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,
25–सुभाष रोड, देहरादून।

विषय :– जनपद देहरादून के विकासखण्ड रायपुर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित सहस्त्रधारा – नालीवाला मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.22 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

(Online Proposal NO- FP/UK/ROAD/156915/2022)

सन्दर्भ :– भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून का पत्र संख्या– 8बी0/यू०सी०पी०/06/76/2022/एफ०सी०/1103 दिनांक– 23.11.2023.

महोदय,

उपरोक्त विषयक के क्रम में अवगतनीय है कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के पत्रांक सं0 8बी0/यू०सी०पी०/06/76/2022/एफ०सी०/1103 दिनांक– 23.11.2023 के द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की अनुपालन आख्या उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया था। वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून का पत्र 997/12–1 दिनांक 16.02.2024 के द्वारा बिन्दुवार आख्या निम्नानुसार प्रेषित की जा रही हैः–

क्रं0 सं0	अधिरोपित शर्त	अनुपालन आख्या
1.	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी।	वन संरक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वनभूमि की विधिक परिस्थिति न बदले जाने के आशय का प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है। (संलग्नक–1)
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जायेगी।	वन संरक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न है कि परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जायेगी। (संलग्नक–2)
3	**प्रतिपूरक वनीकरण :–** (क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 8.44 है० अवनत वन भूमि , मसूरी रेंज के मोटीधार क०सं० 5ए पर प्रतिपूरक वनीकरण किया। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचा जायें तथा प्रतिपूरक वृक्षारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक से दो वर्षों के अंदर पूर्ण किया जाना चाहिए। (ख) वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा कि उक्त सी०ए० क्षेत्र पर किसी भी अन्य योजना के तहत	वन संरक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न है कि उक्त सी०ए० क्षेत्र पर किसी

	वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है। **(ग)** प्रत्यावर्तित किए जाने वाले क्षेत्र की के०एम०एल० फाईल, वृक्षारोपण क्षेत्र, प्रस्तावित एस०एम०सी० कार्य, प्रस्तावित कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट क्षेत्र और डब्ल्यू०एल०एम०पी० क्षेत्र राज्य सरकार अपने स्तर पर कार्य अनुमति जारी करने से पहले सभी आवश्यक विवरणों के साथ ई–ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। **(घ)** वृक्षोरापण के समय कम से कम 50 प्रतिशत ओक प्रजाति के पौधों का वृक्षारोपण किया जाएगा।	भी अन्य योजना के तहत् वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है। वन संरक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न है कि प्रत्यावर्तित किए जाने वाले क्षेत्र की के०एम०एल० फाईल, वृक्षारोपण क्षेत्र, प्रस्तावित एस०एम०सी० कार्य, राज्य सरकार अपने स्तर पर कार्य अनुमति जारी करने से पहले सभी आवश्यक विवरणों के साथ ई–ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। वन संरक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न है कि वृक्षारोपण के समय कम से कम 50 प्रतिशत ओक प्रजाति के पौधों का वृक्षारोपण किया जाएगा। वन संरक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा (क,ख,ग,घ) एवं शर्त संख्या– 11 व 12 के क्रम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है। **(संलग्नक–3)**
4	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर अति आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जायेगा। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जायेगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए अप्रत्याशित वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किये जा सकते हैं।	वन संरक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा आवश्यक धनराशि कैम्पा कोष में जमा कर दी गयी है। साथ ही इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपलब्ध कराया गया प्रमाण पत्र संलग्न है। **(संलग्नक–4)**
5	शुद्ध वर्तमान मूल्य :– **(क)** इस सम्बन्ध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या–202/1995 में IA नम्बर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक–5–1/1998–एफ०सी० (pt.-2) दिनांक– 18.09.2003, 5–2/2006–एफ०सी० दिनांक–03.10.2006, 5–3/2007–एफ०सी० दिनांक–05.02.2009 एवं 5–3/2011–एफ०सी० (Vol I) दिनांक– 06.01.2022 में जारी दिशा–निर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से प्रस्ताव के तहत 4.22 है० वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) वसूल करेगी। (ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त धनराशि, यदि कोई हो, जो अन्तिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण	वन संरक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त प्रस्ताव के तहत 4.22 है० वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य (NPV) ₹ 54,55,827.00 (चौवन लाख पचपन हजार आठ सौ सत्ताईस रुपये) मात्र की धनराशि जमा की गयी है। वन संरक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपलब्ध कराया गया इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न है कि विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त धनराशि, यदि कोई

	इसका एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा।	हो, जो अन्तिम रूप देने के बाद देय हो, को प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा कर दिया जायेगा। **(संलग्नक–5)**
6	प्रयोक्ता एजेन्सी प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखेगा जोकि प्रस्ताव के अनुसार 632 वृक्षों एवं 56 sapling से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगें। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।	वन संरक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वांछित प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया गया है। **(संलग्नक–6)**
7	राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि आरओडब्ल्यू में आने वाले कुल पेड़ों मे से वास्तविक रूप से आवश्यकता के अनुसार पेड़ों की कटाई कम से कम की जाएगी।	वन संरक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपलब्ध कराया गया इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न है कि विषयांकित मोटर मार्ग के आरओडब्ल्यू में आने वाले कुल पेड़ों मे से वास्तविक रूप से आवश्यकता के अनुसार पेड़ों की कटाई कम से कम की जाएगी। **(संलग्नक–7)**
8	गाईडलाईन में दिये गये दिशानिर्देशों के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत् स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारंभ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जाएगी।	वन संरक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वांछित प्रमाण पत्र संलग्न है। **(संलग्नक–8)**
9	परियोजना के तहत प्रयोक्त एजेन्सी से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (http://parivesh-nic-in) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानान्तरित ध्जमा किया जाएगा।	वन संरक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण एवं उसके दस वर्ष तक रखरखाव हेतु आवश्यक ₹ 37,87,796.00 (सैंतीस लाख सत्तासी हजार सात सो छियानबे रुपये) मात्र एवं उक्त प्रस्ताव के तहत 4.22 है० वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य (NPV) ₹ 54,55,827.00 (चौवन लाख पचपन हजार आठ सौ सत्ताईस रुपये) मात्र, कुल ₹ 92,43,623.00 (बयानबे लाख तैंतालीस हजार छरू सौ तेईस रुपये) मात्र की धनराशि ई–पोर्टल (http://parivesh.nic.in) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानान्तरित ध्जमा कर दिया गया है। **(संलग्नक–9)**
10	एफ०आर०ए०, 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा।	वन संरक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एफ०आर०ए०, 2006 से सम्बन्धित प्रमाण पत्र संलग्न है। **(संलग्नक–10)**
11	नवीनतम वन (संरक्षण) नियम, 28.06.2022 के अनुसार, पांचवे वर्ष में न्यूनतम कैनोपी घनत्व कम से कम 0.4 होनी चाहिए और परिपक्व वृक्षारोपण (Mature Plantation) में वनस्पति घनत्व कम से कम 0.7 होना चाहिए।	वन संरक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उल्लिखित शर्त के पालन किये जाने के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र संलग्न है। **(संलग्नक–3)**
12	वन मण्डल अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण के स्थलों को बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के	वन संरक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न है कि भारत सरकार द्वारा स्वीकृत

	स्वेच्छानुसार नहीं बदलेंगे।	प्रतिपूर्ति पौधारोपण के स्थलों को बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के स्वेच्छानुसार नहीं बदलेंगे। (संलग्नक–3)
13	नोडल अधिकारी, State CAMPA यह सुनिश्चित करें कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृति पौधारोपण स्कीम के अनुसार बजट वन मण्डल अधिकारी को उपलब्ध करवायेंगे।	शर्त संख्या 12 नोडल अधिकारी, State CAMPA से सम्बन्धित है।
14	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।	वन संरक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र संलग्न है। **(संलग्नक–11)**
15	केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जायेगा।	वन संरक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपलब्ध कराया गया इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न है कि केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जायेगा। **(संलग्नक–12)**
16	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा।	वन संरक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपलब्ध कराया गया इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न है कि वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा। **(संलग्नक–13)**
17	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्जीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत सें पर्याप्त लकड़ी विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।	वन संरक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपलब्ध कराया गया इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्जीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत सें पर्याप्त लकड़ी विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा। **(संलग्नक–14)**
18	सम्बन्धित वन मंडल अधिकारी के निर्देशानुसार वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आ०सी०सी० पिलर्स के द्वारा सीमांकन किया जाएगा। जिस पर Forward/Backward bearing अंकित हो।	वन संरक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वांछित प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है। **(संलग्नक–15)**
19	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।	वन संरक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा, इस आशय का प्रमाण पत्र प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा संलग्न किया गया है। **(संलग्नक–16)**
20	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।	वन संरक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपलब्ध कराया गया इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न है कि वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा। **(संलग्नक–17)**
21	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति मे किसी भी अन्य एजेसियों , विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।	वन संरक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपलब्ध कराया गया इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न है कि केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति मे किसी

		भी अन्य एजेसियों , विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जायेगी। **(संलग्नक–18)**
22	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लघंन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशा–निर्देश फाईल संख्या–11–42/2017–एफ०सी० दिनांक–29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्रवाई होगी।	वन संरक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा संलग्न किया गया है। **(संलग्नक–19)**
23	पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्तें लागू होगी।	वन संरक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रमाण पत्र संलग्न है। **(संलग्नक–20)**
24	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार से मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलबा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलबा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।	वन संरक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रमाण पत्र संलग्न है। **(संलग्नक–21)**
25	यदि कोई सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालयी आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना नोडल अधिकारी/प्रयोक्ता एजेन्सी की जिम्मेवारी होगी।	वन संरक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रमाण–पत्र संलग्न है। **(संलग्नक–22)**
26	अनुपालन रिपोर्ट ई–पोर्टल (http://parivesh.nic.in) पर अपलोड की जाएगी।	वन संरक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा रिपोर्ट ई–पोर्टल (http://parivesh-nic-in) पर अपलोड/संलग्न किया गया है। **(संलग्नक–23)**

अतः वन सरंक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी की संस्तुति के दृष्टिगत प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अंतर्गत यथोचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आर0के0 मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।

संख्या :– 2039 /12–1 (दे0दू0) दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।

(आर0के0 मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।